न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 32/2019
जी.सी.एम.एस. : 2019/00102

1. अम्पिल कुमार पुत्र आनन्द कुमार जाति बिश्नोई निवासी 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. पवन कुमार पुत्र सुशील कुमार जाति बिश्नोई निवासी 11 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—:प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीदेवी धर्म पत्नी बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी 11 टीके तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी ठरवां तहसील टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा
2. मनोहरलाल पुत्र जेसाराम जाति बिश्नोई निवासी 4 डीडी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री मोहनलाल बाना, वकील प्रार्थीगण
2. श्री परविन्द्र बिश्नोई, वकील अप्रार्थी सं. 1—2

—: निर्णय :—

दिनांक : 09.03.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 11 टीके के प.नं. 198/294 के मु.नं. 17 के 3.163हे. नहरी भूमि बनवारीलाल पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई के नाम से खरीदशुदा खातेदारी भूमि थी। बनवारीलाल के कोई औलाद नहीं थी। इसलिए बनवारीलाल व उनकी पतनी अप्राथ्रीया नं. 1 दानों प्रार्थीगण के दादा राजाराम के पास रहते थे। इसनकी सेवा चाकरी प्रार्थीगण ने की थी। प्रार्थीगण की सेवा चाकरी से बनवारीलाल ने प्रसन्न होकर दिनांक 13.12.2015 को एक वसीयत प्रार्थीगण के पक्ष में चक 11 टीके के मु.नं. 17 के कि.नं. 11 सं 14, 17 सं 24 सालम व 25 में आधा कुल 3—163है. नहरी भूमि की रोबरू गवाहान कर दी थी। जब से विवादित भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का लगातार चला आ रहा हैं। वसीयत में यह कहा गया था कि बनवारीलाल के देहावसन के बाद यह भूमि उसकी पत्नी अप्रार्थी सं. 1 के भरण पोषण के लिए उसके पास रहेगी परन्तु वह इस भूमि को किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं कर सकेगी। इस भूमि पर मालिकाना हक प्रार्थीगण को होगा। इस तथ्य का अप्रार्थी सं. 1 को भलीभांति ज्ञान था इसलिए उसने बदयान्ती से बनवारीलाल के देहान्त हो जाने पर प्रार्थीगण को बिना बताये विवादित भूमि का विरास्त इनतकाल अपने नाम करवाकर अप्रार्थी के पक्ष में बैनामी तौर से बिना प्रतिफल लिये बैयनामा प्रार्थीगण को नुमाईशी तौर से करवा दिया। क्योंकि अप्रार्थी सं. 2 अप्रार्थी सं. 1 का बहनोई हैं। दिनांक 01.05.2018 को लिखावाकर दिनांक 02.05.2018 को उप पंजीयक मुकलावा के कार्यालय से पंजीबद्ध करवा दिया हैं। बैयनामा का प्रार्थीगण के हिस्सा में कोई प्रतिकूल असर नहीं हैं। यह बैयनामा शुरू से शून्य हैं। इन्तकाल सं. 608 दिनांक 03.06.2016 प्रार्थीगण को बिना सुने किया गया हैं। इनतकाल 608 को निरस्त करवाने की अपील श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश प्रशासन श्रीगंगानगर में विचाराधीन हैं। विवादित भूमि को बेचने का अधिकार लक्ष्मीदेवी को नहीं था। विवादित भूमि पर रबी की फसल प्रार्थीगण ने उठाई हैं। अप्रार्थीगण को अपील का ज्ञान होने पर वे धमकीयां दे रहे हैं कि आज कल में ही भूमि पर कब्जा करेंगें। या रहन बैय कर देंगे जिससे प्रार्थीगण ता जिन्दगी कब्जा नहीं ले सकेंगे। अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा और वसीयत की गई भूमि से महरूम रह जायेगें। विवादित भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। सब्जी काश्त की गई है, खरीफ काश्त करने के लिए भूमि तैयार कर रखी है इसलिए सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध चक 11 टीके के प.नं. 198/294 के मु.नं. 17 के कि.नं. 11 से 14, 17 से 24 सालम व 25 में आधा कुल 3—163है. नहरी भूमि पर प्राथीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दख अन्दाजी करने से बाज व ममनु रहे तथा किसी प्रकार से किसी अन्य के पक्ष में हस्तांतरण करने से बाज व ममनु रहे बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं दिनांक 01.05.2019 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी। अप्रार्थीगण ने

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तथाकथित भूमि के संबंध में प्रार्थीगण के फूफा कृष्णलाल व प्रार्थी सं. 1 के पिता आनन्द कुमार द्वारा एक ईकरारनामा बैयनामा दिनांक 09.02.2021 का मृतक बनवारीलाल के द्वारा बताकर एक विक्रय संविदा हेतु वाद पत्र श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, ऐसी स्थिति में किसी सम्पति को विक्रय होने के पश्चात भूमि के संबंध में वसीयत होना अपने आप में संदेहस्पद व बेमानी है। उक्त ईकरारनामा दिनांक 09.02.2012 में क्रेता व गवाहान प्रार्थीगण के परिवार के ही सदस्त है, इसलिए तथाकथित वसीयत दिनांक 13.12.2015 पूर्णतया फर्जी व कूटरचित हैं। मृतक बनवारीलाल ने अपने जीवनकाल में या कभी भी कोई वसीयत अपनी कृषि भूमि के संबंध में नहीं की। प्रार्थी के पिता सुशील कुमार द्वारा मिन जवाबकर्ता के उक्त भूमि का बैयनामा दिनांक 02.05.2018 का ज्ञान होने पर एक वाद पत्र श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रायसिहनगर में अनवान सुशील कुमार बनाम लक्ष्मीदेवी आदि अन्तर्गत धारा 88–188–92ए–209 आरटीए मय स्थगन प्रा.पत्र प्रस्तुत कर एक तरफा स्थगन प्राप्त कर उक्त भूमि पर सुशील कुमार का 30–32 वर्षो से प्रतिकूल कब्जा होने का तथ्य दर्ज कर प्रस्तुत किया। जिसका ज्ञान होने पर जवाबकर्तागण द्वारा उक्त प्रकरणों में अपनी जवाबदेही प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के पिता व चाचा सुशील कुमार द्वारा प्रस्तुत एकतरफा स्थगन को अपास्त करवाया गया। उक्त प्रकरण में सुशील कुमार पुत्र राजाराम द्वारा उक्त भूमि पर 30–35 वर्षो से अपना प्रतिकूल कब्जा बनवारीलाल द्वारा सुपुर्द किया जाने का तथ्य दर्ज किया है, उक्त वाद व प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में सुशील कुमार द्वारा जवाबकर्ता सं. 1 की मानसिक मनोदशा व मानसिक बीमारी का भी तथ्य अंकित किया हैं, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत इसलिए भी फर्जी व कूटरचित साबित है कि वादीगण के पिता व चाचा सुशील कुमार द्वारा लाये गये वाद में वसीयत का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि सुशील कुमार के पुत्र व भतीजे पवन कुमार व अम्पिल कुमार को वाद पत्र का पूर्णतया ज्ञान था। जवाबकर्ता द्वारा बैयनामा दिनांक 02.05.2018 का ज्ञान होने पर दिनांक 01.05.2018 को जवाबकर्ता लक्ष्मीदेवी द्वारा वादीगण के पिता आनन्द कुमार व सुशील कुमार व उनके फूफा कृष्णलाल को उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को प्रार्थना पत्र देकर पाबन्द करवाया था। जो इस्तगासा सं: 99/18 स्टेट बनाम अनिल कुमार के नाम से दर्ज है। अनिल कुमार वादी अम्पिल कुमार ही हैं। इस प्रकार तथाकथित वसीयत पूर्णयतया फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है, यदि ऐसा दस्तावेज होता तो उस समय प्रकरण में उकत तथ्य का वर्णन जरूर होता। इसके बाद दिनांक 01.05.2018 को सुशील कुमार ने, दिनांक 07.05.2018 को क्रेता मनोहरलाल द्वारा एवं दिनांक 09.05.2018 को आनन्द कुमार द्वारा पुलिस थाना रायसिंहनगर में एक प्रार्थना प्रस्तुत किया जिनमें कब्जा सुशील कुमार का होना, आनन्द कुमार व सुशील कुमार ने दर्शित किया तथा इस संबंध में 118/18, 105/18 दर्ज हुए। उक्त प्रकरणों के आधार पर वादीगण व उनके परिवार को उपजिला क्लैक्अर के समक्ष पाबन्द किया गया। उपजिला कलैक्टर में वाद सुशील कुमार बनाम लक्ष्मी के असफल होने पर पुनः सिविल न्यायालय में एक वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रतिकूल कब्जे को वर्णित कर प्रस्तुत किया। प्रा. पत्र आदेश 39 नियम 1–2 सुशील कुमार के विरूद्ध खारिज किया गया। वाद पत्र भी पैरवी नहीं करने के कारण दाखिल दफ्तर किया गया। इसी अरसा में प्रार्थीगण के फूफा कृष्णलाल पुत्र मनीराम द्वारा एक कूटरचित ईकरारनामा दिनांक 09.02.2012 तैयार कर श्रीमान अपर जिला एवं सैशन न्यायालय में एक वाद बाबत विक्रय संविदा दिनांक 09.02.2012 की पालना व दिनांक 02.05.2018 का बैयनामा को अपास्त हेतु पेश किया। उक्त वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र में कृष्णलाल पुत्र मनीराम द्वारा अप8ना कब्जा उक्त भूमि पर वर्ष 2012 से निरन्तर बताया, वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में दिये शपथ पत्र में वादी अम्पिल कुमार के पिता आनन्द कुमार द्वारा शपथि पत्र पर बतौर गवाह हस्ताक्षर किये, जिससे तथाकथित भूमि पर कृष्णलाल पुत्र मनीराम का कब्जा दर्शित हो सके। इस कारण से तथाकथित वसीयत दिनांक 13.12.2015 स्वतः ही अवैध व कूटरचित हैं। उक्त विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत ईकरारनामा दिनांक 09.02.2012 के संबंध में जवाबकर्ता द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी बाबत ईकरारनामा के संबंध में पुलिस थाना में दर्ज करवाई थी। जो एफआईआर सं. 173/18 है, इस फौजदारी प्रकरण में प्रयुक्त ईकरारनामा को पुलिस जांच में तथा सरकारी एफएसएल जांच में भी पूर्णतया फर्जी व कूटरचित पाया गया हैं, जिसमें अम्पिल कुमार के पिता आनन्द कुमार भी बतौर गवाह मुलजिम है तथा गिरफ्तारी होना ही शेष हैं। लक्ष्मीबाई को विरास्तन आई भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि की श्रेणी में आती हैं। जिसे व्यनन करने का उसे पूर्ण अधिकार हैं। इसके अलावा वादीगण का वाद मियाद बाहर हैं। क्योंकि इंतकाल दिनांक 03.06.2016 का ज्ञान वादी व प्रार्थीगण के परिवारजन को शुरू से ही था। प्रकरण किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर जवाबकर्तागण के पक्ष में हैं। क्योंकि जवाबकर्ता सद्भाविक विक्रेता व क्रेता हैं। जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रतिफल राशि देकर तथाकथित भूमि का बैयनामा अपने पक्ष में करवाया हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन हैं।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि की वसीयत प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अप्रार्थी सं. 1 ने बनवारीलाल के देहान्त हो जाने

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण को बिना बताये विवादित भूमि का विरासत इन्तकाल अपने नाम करवा अप्रार्थी सं. 2 को
वादित रकबा विक्रय कर दिया। वसीयतनामा में बनवारीलाल ने लक्ष्मी देवी को अपने जीवनकाल में
वन काल भरण पोषण हेतु भूमि दी थी, परन्तु वह भूमि किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं कर
सकती थी। भूमि पर मालिकाना हक प्रार्थीगण का था। परन्तु अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बिना प्रतिफल प्राप्त
ह भूमि का बेचान कर दिया हैं जो विधिविरूध हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन
र्थीगण के पक्ष में हैं, यदि अप्रार्थीगण भूमि को किसी प्रकार से अन्य को हस्तांतरण अथवा रहन
दि कर देते हैं तो अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र
लेकार कर न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निर्णय तक कन्फर्म करने हेतु
वेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते
ए कथन किया कि मृतक बनवारीलाल ने अपने जीवनकाल में या कभी भी कोई वसीयत अपनी
दी भूमि के संबंध में नहीं की। तथाकथित वसीयत पूर्णयतया फर्जी व कूटरचित दस्तावेज हैं।
प्रार्थी लक्ष्मीबाई को भूमि विरास्तन प्राप्त हुई हैं। जिस पर उसे समस्त अधिकार प्राप्त हैं। इसके
विरास्तन इंतकाल का ज्ञान प्रार्थीगण को शुरू से ही था। अप्रार्थीगण सद्भाविक विक्रेता व क्रेता हैं।
थम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। वहस के अन्य तथ्य जवाव
र्थना के तथ्यों को समझने हेतु निवेदन किया। एवं प्रार्थना पत्र खाजिर करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार लक्ष्मीदेवी हैं। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वसीयत रजिस्टर्ड नहीं हैं, मात्र एक अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन सिद्ध नहीं होता हैं। प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में बनता हैं, चूंकि मात्र एक अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर प्रार्थीगण ने खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की हैं। वादवर्णित भूमि को लेकर पूर्व में एक वाद भी माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के बावत माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रायसिंहनगर के बावत विक्रय संविदा(ईकरारनामा) दिनांक 09.02.2012 की विनिर्दिष्ट अनुपालना एवं बैयनांमा दिनांक 01/02.05.2018 के निरस्तीकरण का पेश होने पर वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्र.सं. 26/2018 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1–2 सीपीसी का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2018 को पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण मंजूर कर ताफैसला मूल वाद 17/2018 वअनवानी कृष्णलाल बनाम लक्ष्मी आदि अप्रार्थीगण ईकरारनामा दिनांक 09.02.2012 में वर्णित विवादित चक 11 टीके तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 17 प.नं. 198/294 के कि.नं. 11 ता 14 के 1.012है., 17 ता 24 के 2.024है., 25 के 0.127हैं, कुल 3.163है. कमाण्ड खातेदारी भूमि को किसी अन्य को अन्तरण रहन व बैय नहीं करें एवं यथास्थित बनाए रखें। विवादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार लक्ष्मी देवी हैं, जिन्होंने इसका बेचान अप्रार्थी सं. 2 को (बैयनामा सं. 201801412001128 दिनांक 02.05.2018 को उप पंजीयक मुकलावा से पंजीकृत करवा) कर दिया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट खारिज किया जाता हैं। तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2019 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को भी निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner